पुष्कर के सावित्री माता के रोप वे पर दो यात्री फंसने की सूचना पर हड़कंप

एनडीआरएफ मेडिकल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे

- दोनों यात्रियों को उतारा सुरक्षित करीब 1 घंटे तक चली मॉक ड्रिल
- जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की गई

पुष्कर, (कासं)। पुष्कर के सावित्री माता रोप वे पर दो यात्री फस जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभाव से एनडीआरएफ की टीम मेडिकल टीम,उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर चिकित्सा प्रभारी महेश शर्मा 108 एंबुलेंस फायर बिठोड की गाड़ियां लेकर रोपवेट पर पहुंच गए और करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित रोपवे से नीचे उतार लिया गया। उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की गई जिसमें दो व्यक्ति फंस जाने की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम रोप वे की टीम पुष्कर मेडिकल टीम ने संयुक्त सर्च अभियान चला कर दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया की अगर कोई आदमी रोपवे में फस जाता है या रोप वे रास्ते में अटक जाता है तो किस तरह लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा जाए इसकी मॉकड्रिल की गई जिसमें एनडीआरएफ की टीम रोप वे की टीम पुष्कर मेडिकल सहित सभी आला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सभी को यह बताया गया कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चला कर लोगों को इस तरह की आपदा से बचाए जा सकता है इसलिए समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाती है । इस दौरान एनडीआरएफ के मेडिकल कमांडेंट सुधीर कुमार पोखरमल अजयसिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

पुष्कर के सावित्री माता रोप वे पर दो यात्री फस जाने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

हमला करने के तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पिलानी (निसं)। पुलिस थाना पिलानी ने घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और जानलेवा हमला करने के सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन तथा वृताधिकारी चिड़ावा विकास धींधवाल के सुपरविजन में थानाधिकारी चन्द्रभान के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार घुमनसर कलां निवासी परिवादी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 8 मई की रात गांव का योगेन्द्र उसकी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। इसके कुछ समय बाद आशिष, प्रीतम सहित करीब 20 लोग गाड़ियों और कारों में सवार होकर हथियारों के साथ उसके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड की तथा परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि हमलावरों ने उसकी पुत्री को उठाकर ले जाने का प्रयास किया तथा गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की।

मदन राठौड़ ने नवीन भाजपा कार्यालय का अवलोकन किया

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड दो दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे।

पाली, (नि.सं.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड दो दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे। जिला प्रवक्ता त्रिलोक चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने नव निर्मित जिला कार्यालय का अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंन कहा की कार्यालय शुरु होने संगठनात्मक कार्य को गति मिलेगी।

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सैनी, प्रदेश मंत्री आईदान भाटी, जिला अध्यक्ष सुनिल भंडारी, उपाध्यक्ष देविलाल मेघवाल, नरेश ओझा, रामकिशोर साबु, सुरेश पंवार, जुगल किशोर निकुंभ, राकेश पंवार, मुकेश नाबरिया, राहुल मेवाड़ा सहित उपस्थित रहे।

दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप

समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन आरोपियों ने अपनी मांग वापस नहीं ली

- पति सहित 6 जनों के खिलाफ राजगढ़ थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज

सादुलपुर, (निसं)।विवाहिता के साथ दहेज प्रताडना, मारपीट, मानसिक उत्पीडन के गंभीर आरोपों को लेकर पुलिस ने न्यायलय से प्राप्त परिवाद के अधार पर मामला दर्ज किया है। थानां अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि नेहा कुमारी पत्नी विनय, हाल निवासी वार्ड नंबर 19 राजगढ ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी शादी 3० नवंबर 2०25 को राजगढ स्थित मोहता वाटिका में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विनय पुत्र रमेश कुमार निवासी श्रीगंगानगर के साथ सम्पन्न हुई थी।

आरोप है कि शादी के दौरान ही ससुराल पक्ष ने ०5 लाख रुपये नकद और ब्रेजा कार की मांग रख दी थी। उस समय परिजनों द्वारा समझाइश के बाद विवाह सम्पन्न हुआ। बुधवार शाम छः बजे पीडिता ने दर्ज मामले में बताया कि शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर उसे दहेज कम लाने के ताने दिए जाने लगे। पांच लाख नगद ओर कार की मांग करते रहे तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया। आरोप लगाया गया कि पति द्वारा शराब पीकर मारपीट की जाती थी तथा कई बार गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया गया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि लखनऊ एवं श्रीगंगानगर में रहने के दौरान उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया। पीडिता ने अपने ससुर एवं देवर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा उसे धमकाया गया और दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाया गया।

पीडिता ने बताया कि कई बार दोनों परिवारों एवं रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत और समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन आरोपियों ने अपनी मांग वापस नहीं ली। विवाहिता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके सोने-चांदी के आभूषण एवं स्त्रीधन भी ससुराल पक्ष ने अपने पास रख लिए और वापस देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

बिना एनओसी चल रहे पशुपालन कॉलेजों पर हाईकोर्ट सख्त

- प्रत्येक संस्थान पर एक लाख रुपए का जुर्माना

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की बेंच ने बिना वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के प्रवेश देने वाले निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की एनओसी के बिना कोई भी संस्थान प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता और ऐसे संस्थानों का संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा। सुनवाई के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार व्यास और जतिन सांखला ने कोर्ट को बताया कि संबंधित संस्थानों को दी गई संबद्धता केवल अस्थायी थी और यह राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करने की शर्त पर आधारित थी। इसके बावजूद संस्थान निर्धारित समय में आवश्यक अनुमति हासिल नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि संस्थानों को कई अवसर दिए गए थे। राज्य सरकार ने 13 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए विशेष विंडो भी खोली थी, लेकिन संस्थानों ने आवेदन करने के बजाय न्यायालय की शरण लेना उचित समझा। इसे न्यायिक प्रक्रिया और समय की अनावश्यक बर्बादी मानते हुए अदालत ने सभी याचिकाकर्ता संस्थानों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि चार सप्ताह के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि प्रभावित छात्रों को एक महीने के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका

मदनगंज-किशनगढ़, (निस) विधायक डॉ. विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर कार्यकर्ताओं सहित अभ्यर्थियों व अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। विधायक विकास चौधरी ने कहा की यह केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के सपनों, मेहनत और विश्वास की हत्या है। लगभग 22 लाख छात्रों ने वर्षों की कठिन मेहनत, मानसिक तनाव और आर्थिक संघर्ष के बाद नीट परीक्षा दी, लेकिन केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नाकामी ने पूरी परीक्षा प्रणाली को मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, पूरे देश में हंगामा हुआ था, जांच एजेंसियों ने गड़बड़ियों की पुष्टि की थी, फिर भी केंद्र सरकार ने सबक लेने के बजाय उसी बदनाम और विवादित तंत्र को जारी रखा। एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध थी तो उन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया, दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

अवैध शराब सहित एक व्यक्ति पकड़ा

- मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई रास्ते में अवैध ले जाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया

सादुलपुर, (निसं)।राजगढ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को दो लीटर अवैध हथकड शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

बुधवार शाम छः बजे मिली जानकारी में थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि 13 मई 2०26 को सुबह करीब 8.33 बजे पुलिस गश्त के दौरान बहल मोड के पास मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांव राधा बडी से गागडवास की तरफ पैदल जा रहा है, जिसके पास अवैध हथकड शराब है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची। तो देखा कि एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की बोतल लिए पैदल जाता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम जयसिंह निवासी गागडवास होना बताया। बोतल की जांच की गई।

तालाब की टूटी फेंसिंग शीघ्र लगाने की मांग

भीलवाड़ा। मांडल तालाब क्षेत्र में फेंसिंग निर्माण को लेकर क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी मांडल को ज्ञापन सौंपकर तालाब की सुरक्षा एवं बरसात से पूर्व आवश्यक कार्य करवाने की मांग की। ज्ञापन में ठाामीणों ने तालाब की मरम्मत, टूटी फेंसिंग के पुनर्निर्माण तथा जल प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

ज्ञापन में बताया गया कि मांडल तालाब की भराव क्षमता लगभग 14 फीट ऊंचाई एवं 500 एमसीएफ की है, जिससे करीब 3000 बीघा भूमि की सिंचाई होती है। किसानों ने कहा कि तालाब क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे में इसकी सुरक्षा एवं संरचना को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि तालाब के अंदर की फेंस वॉल 06 सितंबर 2025 को लगभग 50 फीट लंबाई में टूटकर तालाब में गिर गई थी, लेकिन अब तक उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। वर्तमान में तालाब में करीब 9 फीट तक पानी भरा हुआ है तथा मानसून आने में लगभग एक माह का समय शेष है। किसानों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो बारिश के दौरान तालाब को नुकसान पहुंच सकता है तथा किसी बड़े खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस कारण उन्होंने तत्काल प्रभाव से टूटी फेंस वॉल का निर्माण करवाने की मांग की। ज्ञापन में एक अन्य गंभीर विषय उठाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ब्यावर रोड़-गोगावला क्षेत्र की ओर से बरसात का पानी तालाब में आता है, लेकिन उक्त आवक क्षेत्र के सामने रीहड़ी डम्पर प्लांट संचालित होने से गंदा केमिकलयुक्त पानी तालाब में पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब के पानी का उपयोग गांव के लोग, पशु-पक्षी एवं मवेशी करते हैं। ऐसे में प्रदूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस डम्पर प्लांट को तत्काल बंद करवाने की मांग भी की। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस संबंध में पूर्व में विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसके अतिरिक्त किसानों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग छभ्-158 के निर्माण के बाद सड़क की ऊंचाई अधिक हो गई है, जिससे तालाब के पीछे की फेंसिंग अपेक्षाकृत नीची हो गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आवारा पशु तालाब की पाल पर चढ जाते हैं और वहां लगाए गए पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

परसरामपुरा स्टेडियम में अतिक्रमण तोड़ा, पूर्व मंत्री डॉ. शर्मा समेत सैकड़ों ने गिरफ्तारियां दी

खेल स्टेडियम की नींव 27 मई 2021 को तत्कालीन विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा व झुंझुनूं जिला कलेक्टर उमरदीन खान के कर कमलों से रखी गई थी जिसे तोड़ दिया गया।

कोलसिया/झुंझुनू, (निसं)। गांव परसरामपुरा स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम की चार दीवारी, जिसको नदी के बहाव क्षेत्र में मानते हुए न्यायालय के आदेशनुसार मंगलवार 13 मई को धरासाही कर दिया गया। गौरतलब है कि परसरामपुरा स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम की नींव 27 मई 2021 को तत्कालीन विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा व झुंझुनूं जिला कलेक्टर उमरदीन खान के कर कमलों से रखी गई थी। स्टेडियम के पूरे होने के बाद यह जिला मुख्यालय स्थित स्वर्ण जयंती स्टेडियम के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा आधुनिक स्टेडियम बनता। जिसमें राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार होते। इसमें एक डिफेंस अकेडमी का भवन भी बना हुआ है। जिसमें बैडमिंटन, टेबिल टेनिस जैसे इनडोर खेल खेले जाते अब खेल मैदान टूटने के बाद बिल्डिंग का कोई आधार ही नहीं रहा। ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र के युवाओ का सपना था कि वे इसमें खेल कर देश का नाम रोशन करेंगे। पांच जेसीबी, ट्रेक्टर ट्रॉली, फायर ब्रिगेड सहित सैंकड़ों गाड़ियों का रहा जाब्ता:- परसरामपुरा में सुबह छह बजे से ही अधिकारियो का आना शुरू हो गया था। जो कि सात बजे तक पूरा जाब्ता पहुंच चुका था। जिसमें नवलगढ़ , उदयपुरवाटी, गुढा तहसीलदार, नवलगढ़ एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत, तहसीलदार सीताराम कुमावत, पांच जेसीबी, ट्रेक्टर ट्रॉली सहित पानी की बौछार करने वाली दो गाड़ियां, पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड सहित सैंकड़ों गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कांस्टेबल से मोबाइल छीना

जोधपुर, (कासं) । शहर के पावटा चौराहा के पास में 9 मई की रात को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कांस्टेबल से मोबाइल लूट लिया गया। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने यह कारस्तानी की। घटना के समय कांस्टेबल राइकाबाग रेलवे स्टेशन से पीटीएस की तरफ पैदल जा रहा था। इस बारे में उदयमंदिर थाने में केस दर्ज कराया गया है।

मूलत: चूरू जिले दूदवा खारा निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र अमीचंद गोदारा की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि वह 9 मई की रात 11.50 बजे राइकाबाग पैलेस स्टेशन से पैदल पीटीएस की तरफ जा रहा था। वह पावटा चौराहा के पास में पहुंचा तब पीछे से एक बाइक पर दो बदमाश आए और पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल छीन ले गए। वह चिल्लाया मगर तब तक बाइक सवार मिर्धा सर्किल से होकर भाग निकले।

उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के 90 बच्चों को रेस्क्यू कर छुड़वाया

- मानव तस्करी निरोधी यूनिट ने मारी रेड
- गुजरात की फैक्ट्रियों में मिले उदयपुर के 90 बच्चे

उदयपुर, (का.स.)।उदयपुर की मानव तस्करी निरोधी यूनिट और राज्य बाल आयोग की टीम ने बुधवार को गुजरात के सूरत में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने जिले के आदिवासी क्षेत्रों से कुल 90 बच्चों को रेस्क्यू कर छुड़वाया। इन बच्चों की उम्र 7 से 14 साल है। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट से जुड़ी छोटी.छोटी फैक्ट्रियों या यूनिट्स में मजदूरी करवाई जा रही थी। कुछ बच्चे साडि़यों में धागे का वर्क करते थे तो कुछ बच्चे मशीन चला रहे थे।इन बच्चों को नाम मात्र की मजदूरी का लालच देकर काम करवाया जा रहा था। किसी को 5 से 8 हजार रुपए प्रति माह तक दिए जा रहे थे।

इनमें से कुछ बच्चे कुछ महीने पहले ही मजदूरी करने सूरत गए थे। ज्यादातर बच्चे स्कूल से ड्रॉपआउट हैं। सूरत के पूना थाना इलाके में सीताराम सोसाइटी,मुक्तिधाम सोसाइटी समेत करीब 6 जगहों पर यह कार्रवाई हुई। राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेन्द्र पंड्या ने बताया.पिछले 1 महीने से उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के गरीब बच्चों को वहां ले जाकर मजदूरी करवाने की जानकारी मिल रही थी। इस पर 20 लोगों की टीम ने पूरे प्लान के साथ बुधवार को सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक जगह रेड मारी और बच्चों को मुक्त करवाया।पंड्या ने बताया. बाल आयोग द्वारा 2019 में रेड डालकर बच्चों को मुक्त करवाया गया था। सभी बच्चे भी उदयपुर जिले के रहने वाले थे।

ठगी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

चिड़ावा (निसं)। गुजरात की पार्टी को सस्ता सोना दिलाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना चिड़ावा की टीम ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मोहित उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है।

आरोपी पर परिवादी को झांसे में लेकर करीब सात लाख रुपये हड़पने तथा धमकाकर अतिरिक्त राशि ट्रांसफर करवाने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन एवं वृत्ताधिकारी विकास धींधवाल के सुपरविजन में थाना अधिकारी अम्बिका चौधरी व उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गुजरात निवासी परिवादी मेहुल भाई कातरिया ने 9 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शराब के ठेकों और दुकानों में नकबजनी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की

जयपुर। गलता गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के ठेकों और दुकानों में नकबजनी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आरोपित जयपुर शहर में पिछले डेढ़ माह के दौरान करीब दो दर्जन वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर चुके हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि गलता गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के ठेकों और दुकानों में नकबजनी सहित सूअर चोरी करने वाले महेंद्र कुमार निवासी मालपुरा गेट जयपुर, समय सिंह उर्फ सन्नी गुर्जर निवासी दौसा और बादल निवासी जवाहर नगर को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले दुपहिया वाहन चोरी करते थे और उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात करते थे। दिन में शराब के ठेकों और अन्य दुकानों की रेकी कर रात 2 बजे से 4 बजे के बीच ताला और शटर तोड़कर चोरी करते थे। गिरोह घरों और बस्तियों से सुअर चोरी की वारदातों में भी शामिल रहा है।

आरोपियों के खिलाफ जयपुर और अलवर जिले के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी और लूट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस जांच में आरोपियों ने सोडाला, प्रतापनगर, मालवीय नगर, जवाहर नगर, आमेर, गोनेर और सांगानेर समेत कई इलाकों में शराब के ठेकों, किराना दुकानों और अन्य स्थानों पर चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों और चोरी के माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है।

गलता गेट थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि पुलिस के अनुसार 2 मई 2026 को ऑटो मोबाइल नगर स्थित शराब के ठेके का ताला तोड़कर 15 हजार रुपए नकद, शराब की बोतलें और ईयरबड्स चोरी किए गए थे।

डायवर्जन नहीं दिखने से गड्ढे में गिरी बाइक, दो घायल

उदयपुर (का.स.)।उदयपुर के झाड़ोल में नेशनल हाईवे.58-ई पर पाबा बावजी से रणघाटी डायवर्जन के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सीधे 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। जिसमें बाइक सवार दो युवक बुरी तरह घायल हो गए।

हादसा बीती रात करीब 11 बजे हुआ। सूचना पर पुलिस हाईवे मोबाइल यूनिट के हेड कॉन्स्टेबल नीरज पालीवाल और पप्पूलाल मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मशक्कत से दोनों घायलों को बाहर निकाला। जिसकेबाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है। गड्ढे में बड़े पत्थर होने से घायलों के सिर हाथ-पैर में गंभीर चोट लगी है।

पंचायत राज विभाग का मामला : पदोन्नति प्रदान करने का अधिकरण का आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर ने यह आदेश दिये

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर ने पंचायत समिति सिरोही में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर तीन माह में पदोन्नति देने का आदेश पारित किया।

गांव भारजा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही निवासी हरिराम माली जो वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है की नियुक्ति ग्रामीण सेवक के पद पर 05 दिसम्बर 1996 को हुई थी। 30 सितंबर 2013 को उसे पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। कालान्तर में इस पद नाम परिवर्तित कर सहायक विकास अधिकारी का पद नाम दिया।

सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु ग्रामीणीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा 11 अगस्त 2021 को एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की गई। समिति द्वारा प्रार्थी के नाम पर इस कारण से विचार नहीं किया गया क्योंकि उसकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट कमेठी के पास 11 अगस्त 2021 तक उपलब्ध नहीं थी। विभाग द्वारा 31 अगस्त 2022 को एक वरिष्ठता सूची जारी की गई उसमें अपीलार्थी का नाम सम्मिलित था। वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के संदर्भ में विभाग द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में 23 दिसम्बर 2022 को अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया यानि विभाग द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि प्रार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है। विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 के आदेश से उससे कनिष्ठ एवं उसके समकक्ष सहायक विकास अधिकारियों को रिक्ति वर्ष 2020-21 के विरूद्ध अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई लेकिन प्रार्थी को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया। विभाग के इस तथ्य से व्यथित होकर विभाग के समक्ष अपीलार्थी ने अनेको अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु विभाग द्वारा कोई किसी तरह की कार्यवाही अपीलार्थी के पक्ष में नहीं की गई। तब मजबूरन अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिकरण द्वारा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया।